



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16092020-221767
CG-DL-E-16092020-221767

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 454]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 16, 2020/भाद्र 25, 1942

No. 454]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 16, 2020/BHADRA 25, 1942

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2020

सा.का.नि. 560(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 87 के उप-खंड (2) के खंड (घ) के साथ पठित उप-खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रेल (वैगनों की अधिक लदाई के लिए दंडात्मक प्रभार) नियम, 2012 में और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों को रेल (वैगनों की अधिक लदाई के लिए दंडात्मक प्रभार) (संशोधन) नियम, 2020 कहा जाए।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त माने जाएंगे।
- रेल (वैगनों की अधिक लदाई के लिए दंडात्मक प्रभार) नियम, 2012 के नियम 3 में, नियम के बाद निम्नलिखित नियम अंतर्विष्ट किया जाए, अर्थात् -

“परंतु और यह कि प्रारंभिक स्थल के अलावा अन्य स्थल पर अधिक लदाई का पता लगने पर, यदि ग्राहक ऐसे स्थल पर लोड समायोजन करता है, तो ट्रेन द्वारा वैगन को प्रारंभिक स्टेशन से लोड समायोजन के स्थल तक ढोने की दूरी के लिए दंडात्मक प्रभार लगाया जाएगा।

[फा. सं. टी सी-I/2020/109/एससीआर]

वरजेश धर्माणी, कार्यपालक निदेशक यात्री विपणन(दरें)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), में सा.का.नि. 570(अ), दिनांक 17 जुलाई, 2012 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा तत्पश्चात् अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 898(अ) दिनांक 17 दिसंबर, 2012, सा.का.नि. 550(अ) दिनांक 10 जुलाई, 2015, सा.का.नि. 278(अ) दिनांक 26 मार्च, 2018 और सा.का.नि. 1205(अ) दिनांक 14 दिसंबर, 2018 के द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF RAILWAYS**(RAILWAY BOARD)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th September, 2020

G.S.R. 560(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (d) of sub-section (2) of section 87 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Railways (Punitive charges for overloading of wagon) Rules, 2012, namely:-

1. (1) These rules may be called the Railways (Punitive charges for overloading of wagon) (Amendment) Rules, 2020.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Railways (Punitive charges for overloading of wagon) Rules, 2012, in rule 3, after the proviso, following proviso shall be inserted, namely -
“Provided further that on detection of overloading at other than originating point, if customer carries out load adjustment at such point, Punitive charge shall be levied for the distance travelled by the train hauling the wagon from the originating station to the load adjustment point.”

[F. No. TC-I/2020/109/SCR]

BARJESH DHARMANI, Executive Director, Traffic Commercial (Rates)

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (i) *vide* number G.S.R. 570(E), dated the 17th July, 2012 and subsequently amended *vide* notification numbers G.S.R.898(E), dated the 17th December, 2012, G.S.R. 550(E), dated the 10th July, 2015, G.S.R. 278(E), dated the 26th March 2018 and G.S.R.1205(E), dated the 14th December 2018.